

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मवाना (मेरठ)

पत्रांक : 949/3/कुटेशन/ढेका कार्य/न.पा./2010

दिनांक : 21 08 2010

अल्पकालीन कुटेशन सूचना

पालिका निधि/राज्य वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनहित में दिनांक 01.09.2010 से 31.03.2011 तक के लिये पेय जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों को ठेके पर कराये जाने हेतु पम्प आपरेटरो, सफाई कर्मचारियों व अन्य पालिका कार्य हेतु अधिकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों से शील बन्ध कुटेशन दिनांक 31-08-2010 को समय 12 बजे अपराह्न तक आमन्त्रित किये जाते हैं। प्राप्त कुटेशन दिनांक 31-08-2010 को समय 2 बजे उपस्थित ठेकेदारों/कुटेशन दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। तथा स्वीकृति के उपरान्त तदनुसार कार्यदेश जारी किये जायेंगे। कुटेशन दाताओं को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रति ठेका कर्मी को प्रति दिन की दर से मासिक वेतन भुगतान का स्पष्ट विवरण कुटेशन में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार ठेके की धनराशि से आयकर देय होगा। उक्त कुटेशन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। ठेका पर कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों का विवरण पालिका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। पालिका की सेवा शर्तें मान्य होंगी तथा सशर्त कुटेशन मान्य नहीं होंगे। कुटेशन के साथ ₹10000.00 की धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/अल्प बचत पत्र/ एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशारी अधिकारी नगर पालिका परिषद मवाना (मेरठ) के नाम बन्धक रखना होगा। उक्त कुटेशन सूचना जनपद मेरठ कलक्ट्रेट एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://meerut.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

(आर.के.प्रसाद)
अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मवाना, मेरठ

(सुदेशबाला)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
मवाना, मेरठ

पत्रांक व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

- 1- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय मेरठ।
- 2- सम्पादक दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में सरकारी दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की 05 प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- 3- सम्पादक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में सरकारी दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की 05 प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- 4- एन0आई0सी0 मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त कुटेशन सूचना को अपनी वेबसाइट एन0आई0सी0 में अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- नोटिसा बोर्ड पर वरपा हेतु।

DIO
NIC Meerut
for u.p. pl.

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मवाना (मेरठ)